<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 253/2026

एफ० आई० आर० संख्या :- 54/2026, थाना कौलारी, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 3/25 आर्म्स एक्ट

हरिपाल सिंह पुत्र अमीरसिंह, उम्र 26 साल, निवासी भदियाना थाना कौलारी,
जिला धौलपुर (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

<u>**जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०**</u>

<u>उपस्थिति :-</u>

1- श्री ओमवीर सिंह गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

<u>**आदेश**</u> <u>**दिनांक : 09/03/2026**</u>

1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में दिनांक 26.02.2026 को एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी मेद्दूराम सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना कौलारी की ओर से इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 26.02.2026 को वास्ते गश्त व चैकिंग करने हेतु थाना से रवाना होकर गश्त कस्बा कौलारी, पेकरी मोड, बहरावती, राजपुर, टहरी, टहरी, मालोनीखुर्द से कस्बा कौलारी पहुंचा, मुखबिर की सूचना के अनुसार कौलारी चाक बाइ रोड की तरफ जागीरपुरा बघेल गांव के पास एक व्यक्ति खडा दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगा, जिसे मन एएसआई मय जाप्ता ने घेरा देकर पकडा तथा उसकी तलाशी ली तो पेन्ट की बायी आंट में एक कट्टा 315 बोर मिला, जिस पर उक्त शख्स से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरपाल सिंह पुत्र अमीरसिंह, निवासी भदियाना पुलिस थाना कौलारी जिला धौलपुर का होना बताया। उक्त शख्स से अपने कब्जे में कट्टा रखने बाबत् परमीशन व लाइसेंस के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाइसेंस व परमीशन नहीं होना बताया। उक्त शख्स से मिले अवैध देशी कट्टा को मोके पर ही फर्द जप्ती जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया तथा मुल्जिम को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। अतः उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावे.......इत्यादि उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र कौलारी धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 54/2026 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

का आरोप बनना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 26/02/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है ।

3) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उसको झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि उसको जबरन अपराध में संलिप्त किया गया है। उसका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उसको जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध बिना लाइसेंस व परमीशन के अवैध देशी कट्टा रखने का गंभीर प्रकृति का अपराध का आरोप प्रमाणित पाया गया है । अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 26/02/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जिसके विरुद्ध बताये गये आरोप मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्त हरिपाल सिंह पुत्र अमीरसिंह, उम्र 26 साल, निवासी भदियाना थाना कौलारी, जिला धौलपुर(राज.) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/26 थाना कौलारी, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रुपये राशि का स्वयं का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादे तो उसको इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

8) यह आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.09
16:26:38 +0530